

(नियम 26)

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

मुकाम पिहावा
उपखंड प्राधिकारी
वालत
सन्तोष ठोंठ
बनाम राजबाला ठोंठ
नं 51 सन 2019
शरदा
मुकदमा
नम्बर व तारी

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए ।

गारीखा
हकम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10-21

वारीगठा के परिधि वकील कैप्टन खन्नावरपुरा में उपस्थित
 होकर प्रार्थना पर नियुक्त नहीं किया। धर्मवादी के
 आदेशों के अनुसार प्रार्थना में लिया गया। वारीगठा के
 आदेशों के अनुसार प्रार्थना पर आदेश 23 नियम। समस्त
 परिधि वकील प्रार्थना पर नियुक्त किया कि उनवानी राव
 धर्म-15। 1/1 प्रार्थना के कारण वारीगठा इन्टर राव
 के प्राकृतिक अर्थ होने के कारण वारीगठा इन्टर राव
 के निर्माण कर गया राव प्रमुख करना चाहते हैं जिससे
 राव के निर्माण करने में व्यापार के समय कोई भी
 नहीं है। इसलिए इन्टर उनवानी राव के निर्माण कर गया
 राव प्रमुख करने की इजाजत दिया जाना उचित एवं
 व्यापारिक है। प्रार्थना पर वारीगठा स्वीकार किया जाना
 है उनवानी राव पर भी निर्माण करने पर स्वीकार किया
 जाना है। एवं यह संवर्धित राव प्रार्थना करने की इजाजत
 दी जाती है। धर्मवादी के पर धर्मवादी के पर धर्मवादी के पर
 की प्रार्थना राव तकनीक प्रार्थना तकनीक प्रार्थना है।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

क. नि. स. लो. ६४

संज्ञ

९
स्वराज

ਪ੍ਰਦੀਪਾਨ ਤੋਲੀ

My life

